

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद।

एफ0आर0 संख्या 332/2021

सुबराती

बनाम रिकू।

अपराध संख्या-261/2021

धारा-279,337 भा0दं0सं0

थाना-डिलारी, मुरादाबाद।

आदेश

06.03.2026

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा वादी को नोटिस भेजा गया। थाना डिलारी, मुरादाबाद से प्राप्त आख्या के अनुसार इस नोटिस की तामील बजातखास अमल में लायी गयी। तदोपरांत वादी अपना पक्ष रखने हेतु नियत दिनांक पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई। वादी को अंतिम अवसर नियत तिथि पर प्रदान किया गया। केस डायरी के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि विवेचक द्वारा विवेचना में कोई विधि त्रुटि नहीं की गई है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

पुलिस द्वारा प्रेषित अंतिम रिपोर्ट स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक 06.03.2026

(दीपांकर)

सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,

ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद।

जे0ओ0 कोड UP3541